राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा–2018/प्रा.प्रशि./ दिनांकः

प्रायोगिक प्रशिक्षण संबंधी सूचना

पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांकः 170 दिनांक 06.10.2017, 2359 दिनांक 18.11.2017 एवं 148 दिनांक 26.12.2017 के क्रम में सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्नातक (कला/विज्ञान) एवं स्नातकोत्तर (भूगोल) परीक्षा–2018 में जिन स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने अभी तक प्रायोगिक विषय का प्रशिक्षण नहीं लिया है ऐसे सभी सातों जिलों के वंचित परीक्षार्थी पूर्व निर्धारित महाविद्यालयों में प्रयोगिक प्रशिक्षण शुल्क के अतिरिक्त रू. 1000/– (प्रति विषय) विलम्ब शुल्क सहित दिनांक 22.01.2018 से 30.01.2018 तक जमा करा सकते हैं। **प्रयोगिक प्रशिक्षण के लिए यह अंतिम अवसर होगा।**

परीक्षार्थी जमा शुल्क की रसीद संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र से आवश्यक रूप से लें तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क एवं विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त अन्य राशि किसी भी स्थिति में नहीं दें।

वंचित परीक्षार्थियों के प्रायोगिक प्रशिक्षण आयोजित करने की तिथि संबंधित महाविद्यालय अपने स्तर पर शीघ्र तय कर दिनांक 21.02..2018 तक नियमानुसार प्रशिक्षण आवश्यक रूप से पूर्ण करवालें।

Sd/–

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा–2018/प्रा.प्रशि./1028–48 दिनांकः 20/01/18

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्राचार्य/प्राचार्या, संघठक, राजकीय महाविलाय, श्री भवानी निकेतन महिला महाविद्यालय, कनोडिया महिला महाविद्यालय, पोद्दार इन्टरनेशनल कॉलेज, मानसरोवर, जयपुर, विनायक कॉलेज, महुआ (दौसा) एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि:–
   - (अ) निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथियों, परीक्षा तिथि की सूचना एवं पंजीकृत परीक्षार्थियों की कक्षावार सूची उप कुलसचिव (गोपनीय), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को यथाशीघ्र पत्र द्वारा अवगत कराने का श्रम करें।
   - (ब) विश्वविद्यालय के संघठक महाविद्यालय एवं विभाग प्रशिक्षण शुल्क की 40 प्रतिशत राशि तथा विलम्ब शुल्क की पूर्ण राशि एवं निजी महाविद्यालय विलम्ब शुल्क से प्राप्त पूर्ण राशि विश्वविद्यालय में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम देय हो, को प्राप्त शुल्क के विवरण सहित दिनांक 05.02.2018 तक उप कुलसचिव (लेखा एवं वित्त), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को जमा करवायेंगें।
2. वित्त नियत्रंक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेखं है कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रसारित करवाने का श्रम करें।
5. निदेशक, छात्र सूचना एवं सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस सूचना को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के सातों जिलों में प्रसारित होने वालें मुख्य समाचार पत्रों में प्रेस नोट के रूप में एक बार प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
7. उप कुलसचिव, परीक्षा गोपनीय एवं यू.एम. शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षण तिथि प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करें।
8. सहायक कुलसचिव (परीक्षा गोपनीय/यू.एम./संचालन शाखा), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी (परीक्षा गोपनीय/यू.एम./संचालन शाखा), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. अनुभाग अधिकारी, पत्र प्राप्ति शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. प्रभारी, छात्र सूचना केन्द्र (SSIC), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

उप कुलसचिव (परीक्षा)